प्रकरण क्रमांक 473/2024

शासन वि०रहमान मो० वगै०

WitnessNo.....07.....for.....**अभियोजन साक्ष्य**.....

Deposition taken the.....22/11/2025.....day of..... **शनिवार** .....Witness's apparent age .....**25 वर्ष**.....States on affirmation....**शपथपूर्वक**...my name is.....**गजेन्द्र डहरिया** .Son of. **जलेश्वर डहरिया** Occupation.**मजदूरी**

Address. **ग्राम– घाठापानी, थाना– चिल्फी , जिला– मुंगेली (छ०ग०)**

साक्षी को शपथ दिलायी जाकर समय 11.00 बजे परीक्षण प्रारंभ किया गया।

// राज्य द्वारा श्री केशव प्रसाद रजक, एडीपीओ//

(1) मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण रहमान, कन्हैया, चंद्रभान कोसरिया, सूरज यादव तथा सुनील कश्यप को नहीं जानता । प्रार्थी ललित ठाकुर को भी नहीं जानता हूं । ललित शोरूम लोरमी रोड पण्डरिया से गाडी खरीदा था ।

(2) आज से तीन वर्ष पहले मैं प्रार्थी ललित के शो रूम से मैं दिनांक हीरो डीलक्स मोटर सायकल खरीदा था । उस डीलक्स मोटर सायकल की कीमत 79000/–है , जिसे मैं 79000/– रूपये नगद देकर खरीदा था । मोटर सायकल खरीदते समय कैश काऊंटर में बैठे व्यक्ति को रूपये देकर रसीद प्राप्त किया था । कैश काऊंटर में कौन बैठा था मुझे मालूम नहीं है ।

(3) मोटर सायकल खरीदते समय मेरे द्वारा दी गयी नगद राशि का रसीद मुझे प्रदान किया गया था । रसीद क्रमांक 1337, **प्रपी 08** मुझे प्रदान की गयी थी, उक्त रसीद में किसने हस्ताक्षर किया था मुझे मालूम नहीं है । फिर मैं गाडी को लेकर अपने घर चला गया था ।

(4) गाडी खरीदने के एक सप्ताह बाद मुझे शोरूम के कर्मचारी के द्वारा मुझसे मेरे बैंक खाते का फोटो कापी, खाता नंबर मांगा था , जिसे मैं वाट्स अप के माध्यम से भेजा था ।

(5) गाडी खरीदने के उपरांत मुझै उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया था । गाडी का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हुआ था । मेरे गाडी फाईनेंस हुआ या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैनें पुलिस को बयान दिया था।

(6) साक्षी को प्रकरण में संलग्न फाईनेंस दस्तावेज **प्रपी 09** कुल दो पन्ना में चस्पित फोटो दिखाकर पूछे जाने पर अपना फोटो होने से इंकार किया तथा उक्त प्रदर्श के अ से अ भाग में मेरा हस्ताक्षर नहीं है परन्तु एप्पलीकेंट के नाम पर गजेन्द्र डहरिया लिखा हुआ है ।

नोटः– इसी स्तर पर एडीपीओ द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले स्वरूप के प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, बाद विचार निवेदन न्यायहित में स्वीकार किया गया ।

(7) मुझे आज दिनांक को याद नहीं है कि मेरे द्वारा मोटर सायकल खरीदने के दस पंद्रह दिनों बाद आरोपी रहमान एंव चंद्रभान के द्वारा मेरा फोटो मांगा था । यह कहना गलत है कि मैं शोरूम में जाकर आरोपी चंद्रभान के पास बैंक पासबुक का फोटोकापी दिया था ।

(8) मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मेरे गाडी मे हुए फायनेस की जिम्मेदारी ललित सर्विसेस हिरो कंपनी के मालिक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी की है ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मधु तिवारी वास्ते आरोपी रहमान, कन्हैया, चंद्रभान व सूरज//

(9) यह कहना सही है कि मै ललित सर्विसेस गया था और ललित को वाहन की रकम अदा कर वाहन को अपने घर ले गया था ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री संजय कुमार जायसवाल वास्ते आरोपी सुनील कुमार कश्यप//

(10) कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 11.20 बजे

साक्षी को उसका कथन पढकर सुनाये जाने पर उसने कथन सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL
Date: 2025.11.22 13:29:05 +0530

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर.....